पत्रांक :– 14/मु0 मं0 सचि0–08–03/2014/ 1384

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 22/7/2014

विषय :– राज्य के +2 एवं माध्यमिक विद्यालयों मे पढ़ने वाले कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वी एवं 8वीं कक्षा के छात्रों को जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य के नागरिकों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र सं0–3540 दिनांक–03.07.2004 तथा परिपत्र सं0–6689 दिनांक–24.07.2013 निर्गत है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए) के परपित्र सं0–4156 दिनांक–17.07.2002 तथा संकल्प सं0–2691 दिनांक–29.04.2002 के द्वारा राज्य के शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र जारी करने की नीति निर्धारित है।

जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्रों को प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के विद्यालयों में 8वीं कक्षा में नामांकन के 60 दिनों के अंदर संबंधित छात्र का जातीय एवं आवासीय प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को निश्चित रुप से उपलब्ध करा दिया जाय ताकि विद्यालय परित्याग करते समय छात्रों को उनके लिए निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान किया जा सके।

ऐसे आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रति हस्ताक्षर के बाद छात्रों को हस्तगत करायी जायेगी और इसकी एक प्रति विद्यालय के पास सुरक्षित रुप से रखी जायेगी।

उपरोक्त व्यवस्था के अनुरुप राज्य के +2 एवं माध्यमिक विद्यालयों मे पढ़ने वाले कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वी एवं 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र दिनांक – 15.11.2014 तक आवश्यक रुप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अपने अधीनस्थ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने स्तर से निदेशित किया जाय। शिक्षा विभाग के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग से भी अनुरोध किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक :– 14/मु0 मं0 सचि0–08–03/2014 7387 /राँची, दिनांक 21/7/14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की इस व्यवस्था को कार्यान्वित हेतु संबंधित शिक्षा पदाधिकारियों को यह निदेश देने की कृपा की जाय कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 8वीं कक्षा में नामांकन लेने वाले छात्रों के नामांकन की तिथि की समाप्ति के बाद 15 दिनों के अंदर उनसे संबंधित जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचनाएँ सम्बद्ध अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराये ताकि 60 दिनों के अंदर छात्रों का जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधान को प्राप्त कराया जा सके।

ह0/- 22/7/14

सरकार के प्रधान सचिव।